न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 340/2025 (GCMS: 2025/449)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **अर्जुन** पुत्र श्री नारायण सिंह उम्र 55 साल निवासी साधु [illegible] श्रीगंगानगर
   मोबाईल नम्बर 96803–02159
2. **फर्म बालाजी प्रोपर्टी** मैन एसएसबी रोड़, 3 ई छोटी, श्री[illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 15.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ एसएसबी रोड़, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर स्थित दुकान बालाजी प्रोपर्टी पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री अर्जुन उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 16 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप पायी गयी, जिसे श्री अर्जुन ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान अपनी उक्त दुकान में करता हैं।** मौके पर अर्जुन द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अर्जुन पुत्र श्री नारायण सिंह ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(1) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मौके [illegible] लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी तथा 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:18 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अर्जुन की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र लालगडिया एव रजत स्वामी ने संयुक्त रूप वकालतनामा एवं जवाब पेश किया हुआ है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए – प्रकरण संख्या 340 / 2025
(GCMS No. 2025/449)
सरकार बनाम अर्जनु एवं फर्म बालाजी प्रोपर्टी
आदेश दिनांक 06.05.2026

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा पेट्रोल अपने स्वय के वाहन के उपयोग के लिए रखा हुआ था। जांच के दौरान ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य जिला अधिकारी द्वारा नही पाया गया कि प्रार्थी द्वारा पेट्रोल का बेचान किया जा रहा था ना ही किसी प्रकार खरीददार का साक्ष्य लेखबद्ध किया गया है, जिससे साबित हो कि पेट्रोल प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से बेचान किया जा रहा हो।

उनका जवाब में आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का कोई उल्लंघन नहीं किया है तथा जिला रसद अधिकारी को प्राथी को बिना सुने एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर झूठे तथ्यों के आधार पर विचाराधीन परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रार्थी को उसके कब्जे से जब्त किये गये 16 लीटर पेट्रोल को वापिस दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 15.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी अर्जुन की दुकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात / अनुमति / अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्ती के समय अप्रार्थी स्वयं ने पेट्रोल को पंजाब से क्रय कर विक्रय हेतु रखा जाना बताया था तथा फर्द मौका मय जब्ती पर हस्ताक्षर भी किये हैं। अप्रार्थी ने जवाब के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जो यह साबित करता हो कि उसके द्वारा पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति / अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करन मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 16 लीटर पेट्[illegible]स्टिक कैनी तथ 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभाग[illegible] मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजो आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 15.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

शिकायत की जांच हेतु एसएसबी रोड, 3 ई छोटी स्थित दुकान बालाजी प्रोपर्टी पर पहुंचे तो मौके पर श्री अर्जुन दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 16 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप दुकान में पायी गयी, जिसे अप्रार्थी अर्जुन ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल–पेट्रोल का बेचान एसएसबी रोड, 3 ई छोटी स्थित दुकान बालाजी प्रोपर्टी में करता है। मौके पर अर्जुन पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए 16 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप को जब्त किया गया। अर्जनु ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा 16 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी ने दिनांक 08.04.2026 को जवाब पेश किया था परन्तु जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह साबित करता हो कि अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जा रहा था। अप्रार्थी स्वयं द्वारा पं[illegible]ोल लाकर विक्रय हेतु अपनी दुकान में रखा होना बता[illegible] [illegible] पर हस्ताक्षर किये है।

इस प्रकार अप्रार्थी अर्जुन के कब्जे से [illegible]सकी **दुकान में 16 लीटर पेट्रोल** बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी अर्जुन के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान करने का का कोई वैध अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:18 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी डीजल / पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है। इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 16 लीटर पेट्रोल पदार्थ मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 16 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 16 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:18 IST
Reason: SelfAttested